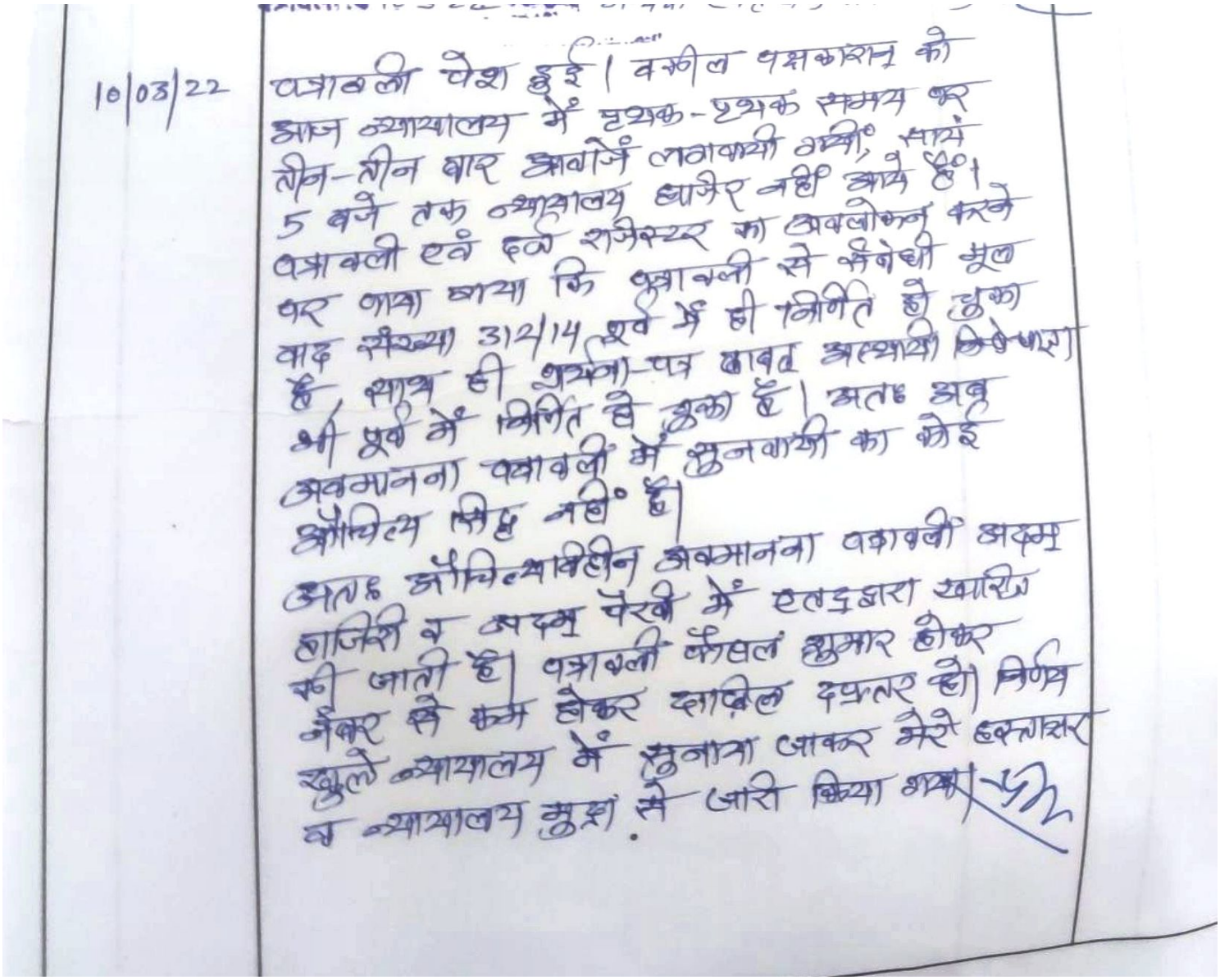

10/03/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् को
आज न्यायालय में पृथक-पृथक समय पर
तीन-तीन बार आवाजें लगवायी गयीं, सायं
5 बजे तक न्यायालय हाजिर नहीं आये हैं।
पत्रावली एवं दर्ज रजिस्टर का अवलोकन करने
पर पाया गया कि पत्रावली से संबंधी मूल
वाद संख्या 312/14 पूर्व में ही निर्णित हो चुका
है, साथ ही प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा
भी पूर्व में निर्णित हो चुका है। अतः अब
अवमानना पत्रावली में सुनवायी का कोई
औचित्य सिद्ध नहीं है।
अतः औचित्यविहीन अवमानना पत्रावली अदम
हाजिरी व अदम पैरवी में एतद्द्वारा खारिज
की जाती है। पत्रावली कॉसल शुमार होकर
नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय
खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर
व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.05.24 16:16:29 IST
Reason: SelfAttested